सेवा में

मानननीय प्रधान न्यायाधीश महोदय
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फरीदकोट हाउस
कॉपरनिकस मार्ग नई दिल्ली 110001

विषय - ओरिजिनल एप्लीकेशन नंबर 487/2024 में यूपीपीसीबी द्वारा महोदय का आदेश न मानने के संबंध में

महोदय

प्रार्थी द्वारा महोदय के समक्ष अवैध ईट भट्ठा मै श्री राम ईट उद्योग ग्राम छोगावां जिला अलीगढ़ के संबंध में OS no.. 487/2024 दायर की गई थी जिसमें महोदय ने 29/4/24 को आदेश जारी किया कि सीपीसीबी वह यूपीपीसीबी दो माह के अंदर जांच कर न्यायालय में रिपोर्ट उपलब्ध कराएं ।

जिसमें सीपीसीबी टीम ने समयबद्ध महोदय के समक्ष 10 जुलाई 2024 को रिपोर्ट प्रेषित कर दी है जो कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड है लेकिन यूपीपीसीबी द्वारा आज दिनांक तक रिपोर्ट महोदय के समक्ष उपलब्ध नहीं कराई गई है

माननीय आपको अवगत कराना है कि यूपीपीसीबी बोर्ड व अपर मुख्य सचिव महोदय उपरोक्त ईट भट्ठा स्वामी से मिले हुए हैं तथा अवैध ईट भट्ठा को बचाना चाहते हैं

इसलिए सचिव महोदय ने अपने कार्यालय में भट्टा स्वामी से अपील संख्या 29/81.6.2024 दाखिल करा ली है (पत्र संलग्न है)

जिसके क्रम में वह अवैध ईट भट्ठा की पुनः जांच के नाम पर लाभ देना चाहते हैं

जबकि अवैध ईट भट्ठा की पहले ही मजिस्ट्रेट जांच हो चुकी है (जांच रिपोर्ट संलग्न)

इसलिए शिकायतकर्ता को बिना सूचना दिए व बिना सुने भट्टा स्वामी के पक्ष में एक पक्षीय फैसला देकर लाभ पहुंचाना चाहते हैं

जबकि अपर मुख्य सचिव महोदय को जानकारी है कि यह प्रकरण एनजीटी कोर्ट व इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है तथा एनजीटी कोर्ट में दो माह में 29/6/24 तक रिपोर्ट प्रेषित करनी थी वह ना करके भट्टा स्वामी को लाभ देकर । फिर मनगढ़ंत रिपोर्ट बनाकर महोदय के समक्ष रखना चाहते हैं

महोदय यूपीपीसीबी ने भट्टा स्वामी को निम्नलिखित लाभ पहुंचाने का अब तक प्रयास किया है

(1) शिकायतकर्ता की लगातार शिकायत के बाद भी कूट रचित दस्तावेज लगाकर कंसर्ट जारी कर दी थी

(2) शिकायतकर्ता की शिकायत पर गलत जल /वायु सहमति की मजिस्ट्रेट जांच हुई जिसमें शिकायतकर्ता की शिकायत सही पाई गई । जिसके बाद यूपीपीसीबी ने कंसर्ट निरस्त कर दी जबकि दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई है

(3) मजिस्ट्रेट जांच में पाया गया कि कंसर्ट कूट रचित दस्तावेजों से प्राप्त की गई है तथा RO अलीगढ़ को दोषी पाया गया जिला अधिकारी महोदय के पत्र संख्या 88/24 से अपर मुख्य सचिव को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया (मजिस्टेट जांच व डीएम पत्र संलग्न है)
लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई पूर्व में भी तत्कालीन डीएम द्वारा RO अलीगढ़ के खिलाफ कई पत्र कार्रवाई के लिए भेजे गए लेकिन अपर मुख्य सचिव महोदय का आशीर्वाद होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं की गई है
(4) सन 2022 से 2024 तक श्री राम ईट उद्योग के खिलाफ उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड अलीगढ़ से पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधुरोपित किए जाने के साथ-साथ ईट भट्ठा के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 के अंतर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किए जाने की संतुति के लिए कई बार लिखा गया लेकिन लेकिन आज दिनांक तक बोर्ड मुख्यालय से कोई कार्रवाई नहीं की गई है ।

महोदय यूपीपीसीबी उपरोक्त ईट भट्ठा को पहले भी कूट रचित दस्तावेजों से कंसर्ट जारी कर संचालन कर चुका है तथा अब भी इसको लाभ देना चाहता है

अतः महोदय से निवेदन है यह बहुत ही संवेदनशील प्रकरण है अपर मुख्य सचिव महोदय उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड के यहां भट्टा स्वामी द्वारा जो अपील है उसको खारिज कराया जाए तथा यूपीपीसीबी द्वारा भट्टा स्वामी को जिन अधिकारियों द्वारा लाभ देते आए हैं तथा देना चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए तथा यूपीसीपी की रिपोर्ट के अनुसार ही OS- 487/24 में सुनवाई की जाए । आपकी अति कृपा होगी ।

दिनांक - 5/9/24
Mob- 9758110340

प्रार्थी
संदीप पुत्र ओमप्रकाश
निवासी शिवपुरी छर्रा अलीगढ़

सलग्न - प्रति सलग्न है ।
(1) मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट
(2) जिलाधिकारी पत्र संख्या 88/24

जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्राप्त।

कार्यालय अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अलीगढ़।

पत्रांक : 5536 /एस0टी0

दिनांक: 22 मार्च, 2024

विषयः— **शिकायतकर्ता श्री संदीप पुत्र ओमप्रकाश निवासी शिवपुरी छर्रा अलीगढ़, के शिकायती प्रार्थना पत्र की जॉच के सम्बंध में।**

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अलीगढ़।

महोदय,

कृपया शिकायतकर्ता श्री संदीप पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी शिवपुरी छर्रा अलीगढ़, के शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 05.12.2023 पर पारित महोदय के पृष्ठांकित आदेश दिनांक 06.12.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत शिकायतकर्ता द्वारा श्री जयपाल सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़ के विरूद्ध मै0 श्रीराम ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0 सुकेश कुमार बी.के.ओ.) छौगवॉ, सिरसा रोड़, रामपुर मुड़िया, छर्रा, तहसील अतरौली जनपद अलीगढ़ को (जल/वायु) की सहमति/अनुमति (कंसर्ट) जारी करने के सम्बंध में कतिपय आरोप लगाते हुए शिकायत की गयी है।

इस सम्बंध में सादर अवगत कराना है कि पत्रांक 3828/दिनांक 07.12.2023 से क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ से जवाब/आख्या प्राप्त की गयी। क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ के पत्र संख्या 1836/AU—578/2023 दिनांक 12.12.2023 के द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी है जिसमें मुख्यतया यह अंकित किया गया है कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड टी.सी. 12वी. विभूमि खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र संख्या—एच 73845/सी—4/ईट—904/बन्दी/2022 दिनांक 04.04.2022 के माध्यम से उक्त ईट भट्टे के विरूद्ध बोर्ड से बिना अनापत्ति व सहमति प्राप्त किये जाने के अनुक्रम में बन्दी आदेश जारी किया गया। उक्त बन्दी आदेश के अनुपालन में संयुक्त समिति द्वारा भट्टे के संचालन को दिनांक 26.05.2022 को बन्द करा दिया गया। पुनः भट्टा संचालित होने पर एवं शिकायत प्राप्त होने पर पुनः दिनांक 01.06.2022 को निरीक्षण कराया गया, ईट भट्टा संचालित पाये जाने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 7,33,500/— अधिरोपित करने के साथ—साथ पत्र दिनांक 04.06.2022 के माध्यम से अभियोजनात्मक कार्यवाही हेतु संस्तुति बोर्ड मुख्यालय को की गयी। मै0 श्रीराम ईट उद्योग, छौगवॉ सिरसा, तहसील अतरौली के नाम से ऑनलाइन के माध्यम से दिनांक 19.09.2022 को आवेदन किया गया, जिसके बन्दी आदेश प्रभावी होने एवं वॉछित सूचनाओं को प्रस्तुत न किये जाने के अनुक्रम में दिनांक 01.10.2022 को ऑनलाइन के माध्यम से अस्वीकृत कर दिया गया। ईट भट्टा स्वामी द्वारा दिनांक 07.08.23 को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड टी.सी. 12वी. विभूमि खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र संख्या—एच 73845/सी—4/ईट—904 /बन्दी/2022 दिनांक 04.04.2022 से जारी बन्दी आदेश को निक्षेपित कराने हेतु दिये गये प्रत्यावेदन में उल्लिखित किया गया कि मेरे ईट भट्टे को बोर्ड से प्रथम बार सहमति जल/वायु कार्यालय के पत्र दिनांक 07.02.1997 के माध्यम से दिनांक 31.12.1997 तक मै0सुकेश कुमार बी0के0ओ0 के नाम से निर्गत की गयी है, मेरे ईट भट्टे में पोर्टहोल, प्लेटफार्म एवं सीढ़ी इत्यादि स्थापित किये गये है। भट्टे के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश पत्र संख्या—एच 73845/सी—4/ईट—904/बन्दी/2022 दिनांक 04.04.2022 को निरस्त करने एवं बोर्ड से अग्रिम वर्षो की सहमति जल/वायु प्राप्त कर ईट भट्टे का संचालन किया जा सके, जो उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़ कार्यालय में दिनांक 07.08.2023 को प्राप्त हुई। ईट भट्टा स्वामी द्वारा दिये गये उक्त प्रत्यावेदन एवं मै0 सुकेश कुमार बी.के.ओ. के नाम से जारी सहमति की (छायाप्रति संलग्न) करते हुए बोर्ड मुख्यालय को क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ के पत्रांक 1161/AU—578/2023 दिनांक 02.09.2023 के माध्यम से बन्दी आदेश निक्षेपण के सम्बंध में प्रेषित किया गया, जिसे उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड टी.सी.12वी. विभूमि खण्ड, गोमती नगर,

क्रमश........2

लखनऊ के पत्र संख्या–एच 00816/सी–4/ईट–904 /निक्षेप/2023 दिनांक 15.09.2023 के माध्यम से मै0 श्रीराम ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0 सुकेश कुमार बी.के.ओ.) छौगवॉ, सिरसा रोड़, रामपुर मुड़िया, छर्रा, तहसील अतरौली जनपद अलीगढ़ के नाम से सशर्त निक्षेपित किया गया। तत्पश्चात भट्टा स्वामी बोर्ड से सहमति प्राप्त किये जाने हेतु ऑनलाइन के माध्यम से मै0 श्रीराम ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0 सुकेश कुमार बी.के.ओ.) छौगवॉ, सिरसा रोड़, रामपुर मुडिया, छर्रा, तहसील अतरौली जनपद अलीगढ़ के नाम से दिनांक 17.09.2023 को आवेदन किया गया, जिसके साथ पूर्वनाम मै0सुकेश कुमार बी.के.ओ. के नाम से दिनांक 07.02.1997 द्वारा जारी सहमति की छायाप्रति संलग्न की गयी। उक्त ईट भट्टे के ऑनलाइन सहमति आवेदन एवं ईट भट्टा स्वामी द्वारा प्रस्तुत किये गये 1997 में जारी सहमति के सम्बंध में रू0 100.00 के नोटराइज्ड शपथ पत्र दिनांक 22.09.2023 के माध्यम से दावा किया गया कि मै0 श्रीराम ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0सुकेश कुमार बी.के.ओ.) गाटा सं0 290, 247 छौगवॉ, सिरसा रोड, रामपुर मुड़िया छर्रा तहसील अतरौली जनपद अलीगढ़, पर स्थापित/संचालित होने एवं स्वयं उक्त ईट भट्टे के प्रोपराइटर होने का दावा करते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुक्रम में उक्त भटटे को पत्रांक 193199 दिनांक 09.10.2023 से सहमति (जल/वायु) की सहमति/अनुमति दी गयी गई। उपरोक्त प्रकरण में भट्टा स्वामी को क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़ द्वारा पत्र संख्या 1773 दिनांक 07.12.2023 के माध्यम से स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़ के पत्र संख्या 1909/AU–528/2023 दिनांक 19.12.2023 जो मै0 श्रीराम ईट उद्योग ग्राम–छौगवॉ सिरसा, रोड रामपुर मुड़िया छर्रा, तहसील अतरौली जनपद अलीगढ़ को जारी किया गया है जिसमें अंकित किया गया है कि कार्यालय अभिलेखानुसार आप द्वारा अभी तक उक्त वर्णित वॉछित सूचनाऐं इस कार्यालय में प्राप्त नहीं करायी गयी है। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जल (प्रदूषण विवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) की धारा–25/26 के साथ सपठित 27(2) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–21/22 के साथ सपठित धारा–21(4) के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्रांक 193199 दिनांक 09.10.2023 के माध्यम से निर्गत सहमति (जल/वायु) को रिवोक किया जाता है तथा राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना ईट भट्टे का संचालन न किया जाये। उपरोक्त जारी निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन न पाये जाने की दशा में ईट भट्टे के विरूद्ध की गयी किसी भी प्रकार की कार्यवाही का समस्त उत्तरदायित्व ईट भट्टा एवं ईट भट्टा के उत्तरदायी का स्वयं का होगा।

अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्र संख्या 3944/एस0टी0 दिनांक 14.12.2023 एवं पत्र संख्या 4223/एस0टी0 दिनांक 29.12.2023 के कम में तहसीलदार अतरौली के पत्र संख्या 1276/रजि0का0 दिनांक 18.12.2023 के द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी, जिसमें अंकित किया गया कि मौजा छौगवॉ परगना गंगीरी तहसील अतरौली में वर्तमान में श्रीराम ईट उद्योग के नाम से भट्टा संचालित है। पूर्व में भट्टे का नाम मै0 उड़िया बाबा ईट उद्योग, ग्राम छौगवॉ था। उक्त दोनों भट्टे एक ही है। तदोपरान्त कार्यालय पत्र संख्या 4370/एस0टी0 दिनांक 05.01.2024 से उपरोक्त भट्टा किस गाटा संख्या पर बना है तथा अलग–अलग है के सम्बंध में स्पष्ट आख्या तहसीलदार अतरौली से प्राप्त करने हेतु जारी किया गया। तहसीलदार अतरौली के पत्र संख्या 732/रजि0लि0 दिनांक 15.01.2024 के द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी, जिसमें अंकित किया गया कि मौजा छौगवां पर0 गंगीरी तह0 अतरौली के गाटा सं0 37 में ही श्री उडिया बाबा ईट उद्योग का संचालन सन 2017 से किया जा रहा है, जो वर्तमान में अब दिनांक 05.12.21 से श्रीराम ईट उद्योग के नाम से चल रहा है। उक्त दोनो भट्टों के सम्बंध में उपलब्ध कराये गये रजिस्ट्रेशन में भी गाटा संख्या 37 का उल्लेख है, जिससे उक्त दोनों भट्टे एक ही है, जिन्हें अलग–अलग समय में अलग–अलग नाम से चलाया गया है।

कमशः........3

पुनः शिकायतकर्ता श्री संदीप के द्वारा दिनांक 01.02.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम में कार्यालय पत्र संख्या 4871/एस0टी0 दिनांक 08.02.2024 एवं पत्र संख्या 5075/एस0टी0 दिनांक 22.02.2024 से मौके की स्थलीय जॉच करते हुए अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ आख्या तहसीलदार अतरौली से प्राप्त करने हेतु जारी किया गया। तहसीलदार अतरौली के पत्र संख्या 75/रजि0लि0 दिनांक 14.02.2024 के द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी, जिसमें अंकित किया गया कि सुकेश कुमार बी0के0ओ0 ग्राम रामपुर के गाटा सं0 247 में स्थित है, जिसके सम्बंध में मुकेश कुमार पुत्र बालकिशन द्वारा बताया गया कि भट्टे का संचालन पूर्व में ममता गुप्ता पत्नी मुकेश कुमार द्वारा संचालन किया गया था जो वर्तमान में बन्द है जिसके सम्बंध में वाणिज्य कर की रसीद व जिला परिषद की रसीद उपलब्ध करायी गयी है व श्रीराम ईट उद्योग मौजा छौगवॉ के गाटा संख्या–37 में स्थित है, जो पिछली वर्ष संचालित किया गया था। उक्त दोनों भट्टे पृथक–पृथक राजस्व ग्राम में स्थित है। तदोपरान्त कार्यालय पत्र संख्या 5075/एस0टी0 दिनांक 22.02.2024 से तहसीलदार अतरौली द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 18.12.2023, 15.01.2024, 14.02.2024 में विरोधाभास होने के सम्बंध में सुविचारित सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार अतरौली के पत्र संख्या 1397/रजि0का0 दिनांक 05.03.2024 के द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी, जिसमें अंकित किया गया कि जॉच करने पर भट्टा संचालक रानी देवी पत्नी श्री बोधपाल सिंह नि0 सिरसा तहसील अतरौली द्वारा बताया गया कि श्रीराम ईट उद्योग पूर्वनाम उड़िया बाबा ईट उद्योग पूर्वनाम मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0 के नाम से संचालित रहा है। श्रीराम ईट उद्योग ग्राम छौगवॉ के पूर्वनाम मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0 होने के साक्ष्य के रूप में जिला पंचायत की रसीद एवं प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड लखनऊ द्वारा निर्गत सहमति प्रपत्र उपलब्ध कराया गया। उक्त भट्टे का एक अन्य पूर्वनाम श्री उड़िया बाबा ईट उद्योग भी होने के साक्ष्य के रूप में जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन उपलब्ध कराया गया। मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0 के नाम से वर्तमान में रामपुर मजरा भुडिया तहसील अतरौली के गाटा संख्या–247 में एक भट्टा स्थित है तथा मौजा छौगवॉ तहसील अतरौली के गाटा संख्या–37 में संचालित श्रीराम ईट उद्योग का एक पूर्व नाम भी मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0 रहा है। दोनो भट्टे पृथक–पृथक मौजा में स्थित है।

इसके उपरान्त शिकायतकर्ता श्री संदीप के द्वारा दिनांक 12.03.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के कम में कार्यालय पत्र संख्या 5368/एस0टी0 दिनांक 13.03.2024 से रसीद की प्रति संलग्न करते हुए सत्यापन आख्या उपलब्ध कराये जाने के लिए अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत अलीगढ, को जारी किया गया। अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत अलीगढ, के कार्यालय पत्र संख्या 1905/ला0–जि0पं0/2023–24 दिनांक 14.03.2024 के द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी, जिसमें अंकित किया गया है कि जिला पंचायत कार्यालय द्वारा लाइसेंस एवं कर की वसूली हेतु शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र संख्या 05 एवं 25 की रसीदों का उपयोग किया जाता है, जिसके दॉयीं एवं वॉयी ओर उस रसीद का कमांक अंकित होता है, रसीद पर कोई रसीद का कमांक दर्शित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त संदर्भित तथाकथित रसीद कूटरचित व फर्जी होना बताते हुए आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गयी है।

तदोपरान्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्र संख्या 5406/एस0टी0 दिनांक 15.03.2024 से अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत अलीगढ, से प्राप्त सत्यापन आख्या दिनांक 14.03.2024 के कम में तहसीलदार अतरौली से स्वयं गहन जॉच कर अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ बिन्दुवार सुस्पष्ट संस्तुति आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार अतरौली के पत्र संख्या 145/रा0लि0 दिनांक 15.03.2024 के द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी, जिसमें अंकित किया गया है कि जॉच करने पर भट्टा संचालक रानी देवी पत्नी श्री बोधपाल सिंह नि0 सिरसा तहसील अतरौली द्वारा बताया गया कि श्रीराम ईट उद्योग पूर्वनाम उड़िया बाबा ईट उद्योग पूर्वनाम मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0 के नाम से संचालित रहा है। श्रीराम ईट उद्योग ग्राम छौगवॉ के पूर्वनाम मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0 होनेके साक्ष्य के रूप में जिला पंचायत की रसीद एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ द्वारा निर्गत सहमति प्रपत्र उपलब्ध कराया गया।

कमश........4

114

दिनांक 15.03.2024 को शिकायतकर्ता को पुनः सुना गया एवं उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर यह पाया गया कि जिला पंचायत अलीगढ के पत्रांक 1905/ला0–जि0पं0/2023–24 दिनांक 14.03.2024 के द्वारा खारिज कर दिया गया है एवं प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति प्रपत्र को पत्रांक 1909 दिनांक 19.12.2023 के द्वारा रिवोक कर दिया गया है। उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0 के नाम से वर्तमान में रामपुर मजरा भुडिया तहसील अतरौली के गाटा संख्या–247 में एक भट्टा स्थित है तथा श्रीराम ईट उद्योग मौजा छौगवॉ तहसील अतरौली के गाटा संख्या–37 में संचालित है। दोनो भट्टे अलग–अलग है तथा पृथक–पृथक राजस्व ग्राम में स्थित है।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ से प्राप्त जवाब/स्पष्टीकरण दिनांक 12.12.2023 एवं तहसीलदार अतरौली से प्राप्त आख्याओ दिनांक 18.12.2023, 15.01.2024, 14.02.2024, 05.03.2024 व 15.03.2024 तथा अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत अलीगढ, की आख्या दिनांक 14.03.2024 एवं शिकायतकर्ता के शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 05.12.2023, 01.02.2024 व 12.03.2024 का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों तथा तहसीलदार अतरौली की आख्या दिनांक 15.03.2024 से स्पष्ट है कि मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0 के नाम से वर्तमान में रामपुर मजरा भुडिया तहसील अतरौली के गाटा संख्या–247 में एक भट्टा स्थित है, तथा श्रीराम ईट उद्योग मौजा छौगवॉ तहसील अतरौली के गाटा संख्या–37 में संचालित है। दोनो भट्टे अलग–अलग है तथा पृथक–पृथक राजस्व ग्राम में स्थित है। मै0 रानीदेवी पत्नी बोधपाल सिंह, नि0 ग्राम सिरसा तहसील अतरौली के द्वारा दिनांक 22.09.2023 को दिये गये नोटरी शपथ–पत्र के बिन्दु सं0–2, में दावा किया गया है कि मै0 श्रीराम ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0–सुकेश कुमार बी0के0ओ0), गाटा संख्या–290, 247, ग्राम छौगवॉ, सिरसा रोड़, रामपुर मुड़िया, छर्रा, तहसील–अतरौली, जनपद अलीगढ़ पर स्थापित/संचालित है, जिसकी स्वयं ईट भट्टे की प्रोपराईटर हूँ, तत्समय रानीदेवी द्वारा साक्ष्य के रूप में जिला पंचायत द्वारा निर्गत रसीद दिनांक 06.10.1997 संलग्नक कर अनुमति हेतु आवेदन किया, जिसके क्रम में श्री जयपाल सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़, के द्वारा बिना किसी जॉच पड़ताल एवं बिना गहन परीक्षण के अनुमति जारी की गयी है, परन्तु श्रीमती रानीदेवी द्वारा जिला पचायत द्वारा निर्गत रसीद का सत्यापन कराने पर अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत अलीगढ, के कार्यालय पत्र संख्या 1905/ला0–जि0पं0/2023–24 दिनांक 14.03.2024 के द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी, जिसमें अंकित किया गया है, कि जिला पंचायत कार्यालय द्वारा लाइसेंस एवं कर की वसूली हेतु शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र संख्या 05 एवं 25 की रसीदों का उपयोग किया जाता है, जिसके दॉयीं एवं वॉयी ओर उस रसीद का कमांक अंकित होता है, रसीद पर कोई रसीद का कमांक दर्शित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त संदर्भित तथाकथित रसीद कूटरचित व फर्जी होना बताते हुए आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गयी है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रश्नगत दोनो ईट भट्टे पृथक–पृथक राजस्व ग्राम में स्थित है तथा अलग–अलग है। जॉचोपरान्त पाया गया कि श्रीमती रानीदेवी द्वारा कूटरचित अभिलेख दाखिल किये गये, जिसका श्री जयपाल सिंह, तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़ द्वारा बिना गहनता के जॉच किये तथाकथित कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर (जल/वायु) की सहमति/अनुमति (कंसर्ट) जारी कर दी गयी, जिसके लिए श्री जयपाल सिंह, तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़, प्रथम दृष्टया दोषी है।

आख्या महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक:– उपरोक्तानुसार २० किता।

22/03/24

(पंकज कुमार)
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन),
o/c अलीगढ़।

प्रेषक,

जिलाधिकारी
अलीगढ़।

सेवा में

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन,
उ0प्र0 शासन,
लखनऊ।

पत्रांक- 88 /एस0टी0 दिनांक: 30 मार्च, 2024

विषय :- शिकायतकर्ता श्री संदीप पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी शिवपुरी छर्रा, जनपद अलीगढ़ के शिकायती प्रार्थना पत्र की जांच के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में कृपया अवगत कराना है कि श्री संदीप सिंह पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी शिवपुरी, छर्रा, अलीगढ़ के द्वारा दिनांक 05–12–2023 को एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके अन्तर्गत शिकायतकर्ता द्वारा श्री जयपाल सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के विरूद्ध मै0 श्रीराम ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0) छौगवां, सिरसा रोड, रामपुर मुड़िया, छर्रा, तहसील अतरौली, जनपद अलीगढ़ को (जल/वायु) की सहमति/अनुमति कंसर्ट जारी किये जाने के सबंध में है।

उपर्युक्त प्रकरण की जांच अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), अलीगढ से कराई गई। उन्होंने अपनी जांच आख्या पत्रांक 5536/एस0टी0 दिनांक 22 मार्च, 2024 के माध्यम से उपलब्ध कराई है। जांच आख्या में कथित किया गया है कि श्रीमती रानीदेवी द्वारा कूटरचित अभिलेख दाखिल किये गये, जिसका श्री जयपाल सिंह, तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा बिना परीक्षण किये तथाकथित कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर (जल/वायु) की सहमति/अनुमति (कंसर्ट) जारी कर दी गयी, जिसके लिये श्री जयपाल सिंह, तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ प्रथमदृष्टया दोषी प्रतीत होते हैं।

अतः अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), अलीगढ़ की जांच आख्या इस पत्र के साथ मूलरूप में संलग्न कर अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(विशाख जी0)
जिलाधिकारी,
अलीगढ़।

Galaxy S22 Ultra